राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 11(1)राज–1/2017 जयपुर, दिनांक : 30.05.2017

–: सूचना :–

राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ एवं राजस्थान पटवार संघ से प्राप्त ज्ञापन/मांग पत्रों में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षकगण की वरिष्ठता तथा अन्य मांगों के निस्तारण के क्रम में विभाग स्तर पर दिनांक 07.05.2017 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 08.05.2017 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियमों में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर समिति की बैठकों का आयोजन भी किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त उक्त नियमों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिन्हें निर्देशानुसार राजस्व मण्डल राज0, अजमेर की वेब साईट पर उपलोड किया जाकर संबंधितों से सुझाव/आपत्तियॉ आमंत्रित की जाती है। उक्त के संबंध में समस्त सुझाव व आपत्तियॉ संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 16.06.2017 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से सायं 06.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।

संलग्नः– नियमों में संशोधन के प्रस्ताव

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विवरण

क्र.सं.	वर्तमान नियमों की स्थिति	प्रस्तावित संशोधन
1.	नियम 9 (क) उप–खण्ड अधिकारी किसी पटवारी का स्थानान्तरण उप–खण्ड के भीतर कहीं भी कर सकेगा और कलक्टर किसी पटवारी का स्थानान्तरण जिले के भीतर कहीं भी कर सकेगाः परन्तु राज्य सरकार किसी पटवारी का स्थान्तरण जिले कि भीतर कहीं भी करने के लिए कलक्टर को निदेश दे सकेगी। (iख) खण्ड आयुक्त किसी पटवारी का उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण खण्ड के भीतर कहीं भी कर सकेगी और राज्य सरकार किसी पटवारी का उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण राज्य के भीतर कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए राजस्व बोर्ड को निदेश दे सकेगीः परन्तु राज्य सरकार, किसी पटवारी का उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण खण्ड के भीतर कहीं भी करने के लिए खण्ड आयुक्त को और किसी पटवारी का उसके स्वयं के अनुरोध पर राज्य के भीतर कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए राजस्व बोर्ड को निदेश दे सकेगीः परन्तु यह और कि यदि किसी पटवारी का उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले के भीतर किया जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण पर पटवारी उस जिले, जिसके भीतर उसका स्थानान्तरण किया गया है, के सभी विद्यमान पटवारियों से कनिष्ठ रहेगा।	नियम (9) के खण्ड (iख)के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः– परन्तु यदि किसी पटवारी का स्थानान्तरण जिले के बाहर उसकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है तो वह उस स्थानान्तरित जिले के विद्यमान उसके चयनित वर्ष के बैच के कार्यरत समस्त पटवारियों से कनिष्ठ होगा। ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व दोनों जिला कलक्टरों की सहमति लिया जाना अनिवार्य होगा।